न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार 1 आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–28.06.2024

वाद संख्याः– 2024/66

1. महबूब अली मंडावरिया आयु 59 वर्ष पुत्र गुलाम नबी जाति तेली निवासी वार्ड नं. 08 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री हसन खां, चूरू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–88RTA, 136LRA
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–**08.10.2025**

1. यह कि वादी की विरासतन खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 415 तादादी 32.3403 है. रोही रतननगर पटवार हल्का रतननगर भूअभि.नि. क्षेत्र रतननगर तहसील जिला चूरू (राज.) में स्थित है। उक्त खसरान भूमि में वादी हिस्सा–1081/108402 का खातेदार संयुक्त एवं शामलाती राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। यह कि वादी दिनांक 15.06.2024 को अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि का अपना खाता विभाजन करवाने के लिए हल्का पटवारी से मिला तो पता चला कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी के बजाय महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी दर्ज है। जिसको संशोधित करवाया जाना आवश्यक बताया। यह कि वादी के पिता गुलाम नबी पुत्र हाजी अलादीन के इंतकाल के पश्चात उक्त खसरान भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 06.10.2010 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। कुर्सीनामा वादी के रिश्तेदार द्वारा बनवाया गया जिसमें वादी का नाम सहवन से महबूब अली मण्डावरिया के स्थान पर महबूब हुसैन लिखवा दिया जबकि वादी का नाम महबूब अली मण्डावरिया है तथा वादी [illegible] का नाम गुलाम नबी है। वादी के सभी परिवार के सदस्यों [illegible] लिखी गई तथा वादी की वल्दियत गुलाब नबी लिख दिया [illegible] महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

कभी नही रहा है। उक्त खसरान भूमि के अलावा वादी के दैनिक उपयोग के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट में नाम महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी दर्ज चला आया है जो सही है। जिनकी प्रतियां संलग्न की जा रही है। यहा कि उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी दर्ज है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी भूमि में मिलने वाले सरकारी योजनाओ के लाभ एवं सुविधाओं से वंचित हो रहा है इसलिए वादी को अपनी उक्त खसरान खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी के स्थान पर महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी संशोधित करवाया जाकर घोषित करवाना आवश्यक हो गया है। यह कि वादी की उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी के स्थान पर महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी सही व वास्तविक नाम दर्ज किया जाता है तो राज्य सरकार, सहखातेदार व अन्य किसी को काई नुकसान नही होगें तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार समाप्त होंगे। यह कि दावा घोषणात्मक, नाम संशोधन का है तथा दावा डिक्री होने की सूरत में राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है इसलिए राजस्थान सरकार को दावा हाजा में तकमिलन पक्षकार बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नही चाहा गया है तथा ना ही प्रतिवादी के किसी प्रकार के अधिकार समाप्त हो रहे है इसलिये धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नही है जिस कारण धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस दिये बिना ही दावा पेश किया गया है। यह कि वर्णित कृर्षि भूमि रोही ग्राम रतननगर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को हासिल रहा है तथा वाद् हर प्रकार से अन्दर मियाद वाजिब न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के समक्ष दावा पेश कर निवेदन है कि वादी की खातेदारी की कृर्षि भूमि खेत खसरा नं. 415 तादादी 32.6403 है. रोही ग्राम रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी जो विरासतन नामान्तरण दर्ज के समय सहवन से दर्ज हो गया था के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी घोषित कर उक्त खसरान कृर्षि भूमि के राजस्व रिकार्ड में महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी के स्थान पर महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी संशोधित कर दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 कि ओर से पेरोकार राज उपस्थित प्रकरण में तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चूरू द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं ... हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

का नाम राजस्व रिकॉर्ड में महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी कर सही नाम महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071—74 वाके ग्राम रतननगर चूरू के नवीन खाता संख्या 265 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
हुसनबानो पत्नि गुज्जमिलहुसैन	415	32.6403 है.
जेतुन पत्नि आमीन		
जुमिया पत्नि याकुबहुसैन		
महबूबहुसैन पुत्र गुलाबनबी		
अनवरहुसैन पुत्र मोहमद		
नियाजुलहक पुत्र हुसैनबक्स		
जावेदभाटी पुत्र असलमभाटी		
रब्बानी पुत्र सुलेमान		
सज्जादअली पुत्र सुलेमान		
समीरा पत्नि रशीदखत्री		
खतीजा पत्नि हासमखाँ		
रामचन्द्र पुत्र पुर्णाराम		
राकेशकुमार पुत्र सुरतसिंह		
नरसीनबानो पत्नि रोशनखां		
जाफरूनबानो पत्नि दीनमोहमद		
गुड्डीकंवर पत्नि छोटुसिंह		
महेश पुत्र घासीराम		
मनोज पुत्र रामनिवास		
महेन्द्रसिंह पुत्र रूघसिंह		
विनोद पुत्र दशरथसिंह		
शोकतखाँ पुत्र मोलेखाँ		
उमेद पुत्र यासीन		
शोकतहुसैन पुत्र इब्राहिम		
जाफरहुसैन पुत्र इब्राहिम		
इकबालहुसैन पुत्र इब्राहिम		
मुमताजअली पुत्र इब्राहिम		
असलमहुसैन पुत्र इब्राहिम		
साबीरा पुत्री इब्राहिम		
समीम पुत्री इब्राहिम		
साबीर पुत्र सलमा		
अकतर पुत्र सलमा		
अहमद पुत्र सलमा		
अयुब पुत्र सलमा		
नजमा पुत्री सलमा		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

परबीन पुत्री सलमा		
सेयदहुसैन पुत्र अकबरअली		
निसारअहमद पुत्र अकबरअली		
मुस्लिमहुसैन पुत्र अकबरअली		
सुगरा पुत्री अकबरअली		
खातुन पुत्री अकबरअली		
जमिला पुत्री अकबरअली		
मैना पुत्री अकबरअली		
याकुबहुसैन पुत्र आमीन		
रफीकअहमद पुत्र आमीन		
सरवरहुसैन पुत्र आमीन		
मुस्ताकअहमद पुत्र आमीन		
खालिदहुसैन पुत्र आमीन		
हाजरा पुत्री आमीन		
शमीन पुत्री आमीन		
हसमत पुत्री आमीन		
हमिदा पुत्री आमीन		
मकसूद पुत्र याकुबहुसैन		
अबास पुत्र याकुबहुसैन		
जमिल पुत्र याकुबहुसैन		
बुलकेश पुत्री याकुबहुसैन		
साजिदा पुत्री याकुबहुसैन		
बिस्मिलाह पत्नि गुलामनबी		
जुबेदा पुत्री गुलामनबी		
गुलशन पुत्री गुलामनबी		
खतिजा पुत्री गुलामनबी		
किस्मत पुत्री गुलामनबी		
असगरअली पुत्र मोहमद		
युसुफ पुत्र मोहमद		
आबीदा पुत्री इब्राहिम		
सेयदा पुत्री गुलामनबी		
राकेश कुमार पुत्र सुरतसिंह		
बाबूलाल प्रजापत पुत्र फूलाराम		
जावेद हुसैन पुत्र साबीरहुसैन		
परवीन बानो पुत्री साबीरहुसैन		
महमूद हुसैन पुत्र साबीरहुसैन		
माजीद हुसैन पुत्र साबीरहुसैन		
मोबीना पुत्री साबीरहुसैन		
सादिक मंडावरिया पुत्र साबीरहुसैन		
हारून रसीद पुत्र साबीरहुसैन		
अयुब हुसैन पुत्र साबीरहुसैन		
बतुल बानो पत्नि साबीरहुसैन		
सुमेर सिंह शेखावत पुत्र रतनसिंह शेखावत		
रोशन अली पुत्र नूरमोहम्मद		
अब्दुलसतार पुत्र अब्दुलरहमान		
जाकिरहुसैन पुत्र अब्दुलरहमान		
वाहिदा पुत्री अब्दुलरहमान		
जुलेखा पुत्री अब्दुलरहमान		
सकिना पत्नि अकबर अली		
हलीमा पत्नि अब्दुल रहमान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम रतननगर के नवीन खाता संख्या 265 में वादी/प्रार्थी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी	415	32.6403

6. जमाबन्दी संवत 2060–63 खसरा सं. 415 में अकबर अली, ईब्राहीम, मोहम्मद आमीन, अब्दुल रहमान, गुलाब नबी, पिसराण हाजी अलादीन कोम तेली मुसलमान 54 बिघा 1 बिसवा ब.ही.ब. सा. चूरू खातेदार दर्ज है।

7. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पासपोर्ट	महबूब अली मण्डावरिया
आधार कार्ड	महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी मण्डावरिया

8. प्रकरण में तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड व पासपोर्ट व मोके पर पूछताछ के आधार पर प्रार्थी का सही नाम महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी होना पाया गया है महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी व महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी एक ही व्यक्ति है।*

9. प्रार्थी के दस्तावेजों प्रार्थना पत्र सपथ पत्र के अवलोकन एवं बहस के मनन से परिलक्षित होता है कि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम व राजस्व रिकार्ड में नाम अलग अलग है प्रार्थी को दस्तावेजी एवं राजस्व रिकार्ड में अलग अलग नाम होने से वादी को खातेदारी भूमि से मिलने वाली सरकारी व गैरसरकारी सुविधाओं व योजनाओ का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस प्रकार कि दुरूस्ती से अन्य सह खातेदारों को परेसानी होने की काई समावना प्रतित नही होती है व नही इस प्रकार कि दुरूस्ती से किसी प्रकार कि राजकीय हानि होने की संभावना है प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का [illegible] अपनी खातेदारी की भूमि में अपने दस्तावेजी नाम को शुद्ध करवाये [illegible] अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

महबुब अली बनाम राजस्थान सरकार
2024/66
निर्णय दिनांकः–08.10.2025

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 एवंम धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सपथ पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाता है वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम चूरू खेत खसरा नं. 415 तादादी 32.6403 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकीत वादी/प्रार्थी का नाम महबूब हुसैन पुत्र गुलाब नबी के स्थान पर महबूब अली मण्डावरिया पुत्र गुलाम नबी दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार 1 आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested